सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– सुश्री श्वेता कोचर आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
187/2017	111,128 LRA	13.02.2016	31.01.2018

1. लादूराम
2. रामकुमार

पुत्रगण जैसाराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 38 रेगर बस्ती चूरू

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. ललितादेवी पत्नी लालचन्द जाति खटीक निवासिनी वार्ड नं. 39 बारह महादेव मन्दिर के पास, चूरू
2. अखेलानन्द पुत्र रामप्रसाद उर्फ गीगराज जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 33, गढ़ के पीछे, चूरू तहसील व जिला चूरू
3. लालचन्द पुत्र सांवताराम जाति भांमी चमार निवासी भांमी बस्ती, वार्ड नं. 32, चूरू जिला चूरू
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरू

–मुख्य अप्रार्थीगण–

5. नाथीदेवी बेवा
6. शंकरलाल पुत्र
7. श्यामलाल पुत्र
8. कन्हैयालाल उर्फ कान्हाराम पुत्र
9. रामचन्द्र पुत्र
10. भातीदेवी पुत्री

स्व. झाबरमल जाति रेगर निवासीगण वार्ड नं. 38, रेगर बस्ती, चूरू तहसील व जिला चूरू

11. मीरा पत्नी भगवानाराम
12. महेन्द्र पुत्र भगवानाराम

जाति रेगर निवासीगण वार्ड नं. 38, रेगर बस्ती, चूरू जिला चूरू

–गौण अप्रार्थीगण–

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी प्रार्थीगण
2. अधिवक्ता श्री ऋषिराजसिंह शेखावत अप्रार्थी सं. 2

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमि ख.नं. 2457/560 तादादी 17 बीघा 6 विश्वा रोही मौजा चूरू तहसील व जिला चूरू में स्थित है। प्रार्थीगण एवं गौण अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 शामिल प्रार्थना पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी

यह कि प्रार्थीगण अनपढ भोला भाला किसान है जिसकी कृषि भूमि है मगर मौके पर कृषि भूमि की सीमा नष्ट व जरजर हालत में है और खेत की सीमा को लेकर हर समय गम्भीर विवाद रहता है इसलिए प्रार्थीगण के लिए सीमाज्ञान आवश्यक हो गया है जिसके लिए प्रार्थीगण ने तहसीलदार साहब, चूरू को दिनांक 1962/11.06.2008 को प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान व दिनांक 188/01.02.2013 को प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान करने का पेश किया और उचित फीस जमा करवाई जाकर सीमाज्ञान करा दिया गया मगर मुख्य प्रतिवादीगण द्वारा सीमाज्ञान नष्ट कर दिया गया और वादीगण को आवश्यक हो गया है कि पुख्ता सीमाज्ञान करवाया जावे जिससे उसकी कृषि भूमि की सीमाज्ञान सही हो। प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख.नं. 2457/560 तादादी 17 बीघा 6 विश्वा रोही कस्बा चूरू का सही सीमाज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढी) लगाने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। यह कि प्रार्थीगण को यह जरूरी हो गया है कि वह अपनी कृषि भूमि का पुख्ता सीमा ज्ञान (पत्थरगढी) करवाना चाहता है जिससे आगे भविष्य में आसपड़ौस से कोई भूमि सीमाज्ञान से सम्बन्धित विवाद ना रहे। यह कि प्रार्थीगण पत्थरगढी व सीमाज्ञान के लिए निर्धारित फीस व खर्चा वहन करने के लिए तैयार हैं तथा जब भी अदालतवाला आदेश करेंगे तो आवश्यक फीस जमा करवा दी जायेगी। यह कि विवादित कृषि भूमि श्रीमान्जी के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण अदालतवाला को प्रार्थना पत्र हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त हैं तथा प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। यह कि अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज किये जावेंगे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं ख.नं. 2457/560 तादादी 17 बीघा 6 विश्वा रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू का सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमा पर पुख्ता सीमाचिन्ह (पत्थरगढी) करवाई जावे।

प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिए सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री ऋषिराजसिंह शेखावत एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 4 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 1, 3, 5 से 12 पर विधिवत तामील के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर न्यायालय समय में बार बार आवाजें लगाई गई परन्तु बिना कोई उचित कारण के अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् पत्रावली काफी समय तक जवाब में लम्बित चलती रही। अन्ततः अन्तिम अवसर स्वतः बन्द की शर्त पर दिया जाने के बाद दिनांक 07.11.17 को अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थीगण को दिलवाई जाकर शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मद सं. 1 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से लिखा गया है स्वीकार नहीं है अस्वीकार किया जाता है। इस मद में अंकित कृषि भूमि ख.नं. 2457/560 तादादी 17 बीघा 6 बिश्वा रोही चूरू में स्थित

उपखण्ड अधिकारी

होना स्वीकार है मगर वादगत भूमि के केवल प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण ही खातेदार काश्तकार होना गलत अंकित किया गया है इसलिए अस्वीकार किया जाता है। मद सं. 2 प्रार्थना पत्र के तथ्य गलत अंकित किये होने से अस्वीकार किये जाते हैं। इस मद के तमाम तथ्य प्रार्थना पत्र का आधार बनाने के लिए गलत लिखे गए हैं इस मद में यह कहीं नहीं अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण की कौनसी सींव किस तरफ से अस्पष्ट है तथा किस तरफ के कौनसे पड़ौसी से सीमा विवाद रहता है अप्रार्थी सं. 2 विवादित भूमि के दक्षिणी तरफ स्थित ख.नं. 561, 562, 563 वा 504 कुल किता 4 कुल तादादी 11.1036 है. रोही मौजा चूरू में से 2/99 हिस्सा यानि 0.2243 है. हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि वा विवादित कृषि भूमि के मध्य पुख्ता सींव बनी हुई है जो करीब पचास साल पुरानी है तथा आज तक कोई भी सीमा विवाद नहीं रहा है ना ही कभी इस आशय का कोई प्रार्थना पत्र या दावा हाजा अप्रार्थी सं. 2 वा प्रार्थीगण के मध्य किसी न्यायालय में जेरकार है। अप्रार्थी सं. 2 शांतिप्रिय व्यक्ति है जो शांतिपूर्वक रूप से वर्षों से अपने खातेदारी की कृषि भूमि काश्त करता चला आ रहा है उसका कभी भी प्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद नहीं रहा है प्रार्थीगण का सीमा विवाद विवादित खेत के उत्तरी तरफ के सीमा पड़ौसी ललितादेवी के साथ चला आ रहा है। प्रार्थीगण झगड़ालू वा बदमाश प्रवृति के व्यक्ति हैं जिन्होंने नाजायज रूप से ललितादेवी की भूमि पर कब्जा करने के आशय से ललितादेवी के खातेदारी की कृषि भूमि की दक्षिणी सींव काट कर नष्ट कर दी वा अपने खेत में मिला लिया जिस पर ललितादेवी द्वारा नपती वा सीमांकन हेतु प्रार्थना पत्र सं. 1962 दिनांक 11.06.08 तहसीलदार चूरू के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार चूरू के आदेश के फलस्वरूप पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.6.08 को मौके पर जाकर पुख्ता सीमांकन वा निशानदेही सीमा बाबत करवा दी गई जिसको भी प्रार्थीगण द्वारा पुनः नष्ट कर दिया गया जिसके बाबत ललितादेवी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का अदालतवाला के समक्ष प्रस्तुत कर सीमाज्ञान वा निशानदेही चाही गई जिसका अदालतवाला द्वारा निर्णय किया जाकर भी मौके पर जाकर निशानदेही वा पत्थरगढ़ी करवा दी गई परन्तु प्रार्थीगण की बदमाश वा झगड़ालु प्रवृति होने से उन्होंने पुनः ललितादेवी के खेत में पुख्ता सीमा चिन्हों वा पत्थरगढ़ी को गलत वा अवैध रूप से उखाड़ दिया। अप्रार्थी सं. 1 ललितादेवी द्वारा उक्त गलत कार्यवाही के विरूद्ध कन्टेप्ट कार्यवाही स्वरूप अदालतवाला के समक्ष प्रार्थना पत्र ललिता देवी बनाम लादूराम आदि अनवान से अदालतवाला के समक्ष प्रस्तुत करवाया हुआ है जो जेरकार है। इस प्रकार से स्पष्ट रूप से तथ्य अदालतवाला के समक्ष उपस्थित हैं कि सीमा संबंधित विवाद प्रार्थीगण वा अप्रार्थी सं 1 के मध्य है अप्रार्थी सं. 2 के साथ किसी भी प्रकार का सीमा विवाद प्रार्थीगण के साथ नहीं रहा है ना ही अब है गलत रूप से अप्रार्थी सं. 2 को पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो अप्रार्थी सं. 2 की हद तक खारिज फरमाया जावे। मद सं. 3, 4, 5 व 6 प्रार्थना पत्र का संबंध मुझ अप्रार्थी से नहीं है इसलिए जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अंतिम मद अनुतोष प्रार्थना पत्र गलत अंकित किये होने से अस्वीकार की जाती है। इस मद में प्रार्थीगण द्वारा ख.नं. 2457/560 तादादी 17 बीघा 6 बिश्वा रोही मौजा चूरू के सीमा ज्ञान वा पुख्ता सीमाचिन्ह की अनुतोष की मांग की गई है जबकि प्रार्थीगण वादगत भूमि में केवल 1/2 हिस्से के ही खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण अपने हिस्से से अधिक अनुतोष अदालतवाला से प्राप्त नहीं कर सकते हैं अगर प्रार्थीगण को अपने 1/2 हिस्से बाबत पत्थरगढ़ी करवानी है तो पहले सक्षम न्यायालय में अपने 1/2 हिस्सा बाबत विभाजन का दावा पेश करना चाहिए। प्रार्थीगण का खाता विभाजित होने के पश्चात ही प्रार्थीगण अदालतवाला के समक्ष पत्थरगढ़ी का अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। अपने हिस्से से अधिक प्रार्थीगण अदालतवाला से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 2 ने अपने जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि प्रार्थीगण ने कृषि भूमि ख. नं. 2457/560 तादादी 17 बीघा 6 बिश्वा रोही चूरू के बाबत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अदालतवाला के समक्ष प्रस्तुत कर सीमांकन का अनुतोष चाहा गया है मगर इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा वादगत भूमि के सभी सहखातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है इस प्रार्थना पत्र में सहखातेदार मोहनलाल पुत्र जैसाराम जाति रैगर जिसका वादगत भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि खातेदार वा कब्जा काश्त का है, को बतौर पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन की विधिक त्रुटि के कारण खारिज किया जावे। यह कि प्रार्थीगण द्वारा ख.नं. 2457/560 तादादी 17 बीघा 6 बिश्वा रोही चूरू के सीमा ज्ञान वा पुख्ता सीमाचिन्ह का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थीगण वादगत भूमि में केवल 1/2 हिस्से के ही खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण अपने हिस्से से अधिक अनुतोष अदालतवाला से प्राप्त नहीं कर सकते हैं अगर प्रार्थीगण को अपने 1/2 हिस्से बाबत पत्थरगढ़ी करवानी है तो पहले सक्षम न्यायालय ने अपने 1/2 हिस्सा बाबत विभाजन का दावा पेश करना चाहिए। प्रार्थीगण का खाता विभाजित होने के पश्चात् ही प्रार्थीगण अदालतवाला के समक्ष पत्थरगढ़ी का अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। अपने हिस्से से अधिक प्रार्थीगण अदालतवाला से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं तथा वादगत भूमि में प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से से अधिक भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत शेष सहखातेदारों बाबत सहमति लिखित वा मौखिक रूप से अदालतवाला के समक्ष उपस्थित होकर नहीं दी गई है इसलिए भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थीगण ने गलत रूप से मुझ अप्रार्थी सं. 2 को पक्षकार बनाकर पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि वादगत भूमि वा अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी के ख.नं. 561, 562, 563 वा 504 कुल किता 4 कुल तादादी 11.1036 है. रोही मौजा चूरू में से 2/99 हिस्सा यानि 0.2243 है. हिस्सा भूमि की तरफ पुख्ता रूप से करीब 50 वर्ष पुरानी सींव बनी हुई है जिसके संबंध में आज तक किसी प्रकार का विवाद पक्षकारों के मध्य नहीं रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे एवं जवाबदेही का विशेष खर्चा मुझ अप्रार्थी को प्रार्थीगण से दिलवाया जावे।

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में उपस्थित अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब पेश होने पर पत्रावली बहस में नियत की जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण की 1/2 हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि है जिसकी सीमा को लेकर आये दिन खेत के पड़ौसी खातेदारों से विवाद बना रहता है। इसलिए प्रार्थीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि विधिवत सीमाज्ञान करवा कर पुख्ता सीमाचिन्ह कायम कर पत्थरगढ़ी करवाई जावे जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। प्रार्थीगण ने वादगत कृषि भूमि के सह खातेदारों में से अपने सगे भाई मोहनलाल को छोड़कर सभी को अप्रार्थी सं. 5 से 12 के रूप में पक्षकार बनाया है जो कि प्रार्थीगण के सगे भाई झाबरमल के वारिसान हैं परन्तु वे विधिवत तामील के बावजूद भी उपस्थित नहीं आये हैं जिससे उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। वादगत खेत के पड़ौसी खातेदार ललितादेवी, अखेलानन्द व लालचन्द को भी अप्रार्थी सं. 1 से 3 के रूप में पक्षकार संयोजित किया है जिनमें से अप्रार्थी सं. 1 व 3 भी उपस्थित नहीं आये हैं जिससे उनके खिलाफ भी एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। अप्रार्थी सं. 2 ने अपने जवाब में वादगत कृषि भूमि की सीमा को प्रार्थीगण के साथ कोई विवाद कभी नहीं होना अंकित किया है परन्तु जब कोई विवाद नहीं बताया है तो प्रार्थीगण के खेतों की पत्थरगढी से उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है, क्योंकि प्रार्थीगण के खेतों की पुख्ता पत्थरगढी होने से भविष्य में सीमा सम्बन्धी कोई विवाद होने का अन्देशा नहीं रहेगा। प्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हैं इसलिए नियमानुसार उन्हें अपने खातेदारी के खेतों का विधिवत सीमाज्ञान व पुख्ता पत्थरगढी करवाने का अधिकार है। प्रार्थीगण नियमानुसार खर्चा वहन करने को तैयार हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी का आदेश फरमावें।

वकील अप्रार्थी सं. 2 ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुरूप कथन किया कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वादगत कृषि भूमि के समस्त खातेदारों को पक्षकार संयोजित नहीं किया है तथा ना ही वादगत कृषि भूमि के समस्त पड़ौसी खातेदारों को पक्षकार बनाया है। साथ ही अप्रार्थी सं. 2 का प्रार्थीगण से कोई विवाद खेतों की सीमा को लेकर कभी नहीं रहा तथा ना ही वर्तमान में है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की है इसलिए अपने हिस्से की भूमि का बिना विभाजन कराये अकेले प्रार्थीगण सीमाज्ञान व पत्थरगढी की मांग नहीं कर सकते। प्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि में 1/2 हिस्से के ही खातेदार हैं। इसलिए पक्षकारों के कुसंयोजन एवं सीमा सम्बन्धी कोई विवाद नहीं होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा के खारिज किया जाने योग्य है। अतः मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2074 ग्राम चूरू ख.नं. 2457/560 तादादी 17 बीघा 6 विश्वा में अन्य सह खातेदारों के साथ–साथ प्रार्थीगण लादूराम रामकुमार पि. जैसाराम 1/2 हिस्सा ब.हि.ब. खातेदार अंकित हैं। उपरोक्त जमाबन्दी के अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें से अपने सगे भाई मोहनलाल को छोड़कर अन्य सभी सहखातेदारों को अप्रार्थी सं. 5 से 12 के रूप में पक्षकार बनाया है। अप्रार्थी सं. 5 से 12 प्रार्थीगण के भाई स्व. झाबरमल के वारिसान हैं तथा सह खातेदार मोहनलाल प्रार्थीगण का सगा भाई है। अप्रार्थी सं. 1, 3 व 5 से 12 तक के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। उपस्थित अप्रार्थी सं. 2 ने अपने जवाब में प्रार्थीगण के साथ सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं होना अंकित किया है परन्तु ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाया जाना उचित नहीं हो। प्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि में 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं एवं वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण की अविभाजित संयुक्त परिवार की खातेदारी की है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होता है। इसलिए नियमानुसार प्रार्थीगण अपने खातेदारी के खेत का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने के अधिकारी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के मध्यनजर प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिये जाते हैं कि रोही कस्बा चूरू तहसील चूरू के खसरा नं. 2457/560 तादादी 17 बीघा 6 विश्वा की नपती हेतु प्रार्थीगण से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर वादगत कृषि भूमि के पड़ौसी खातेदारों की उपस्थिति में विधिवत सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करावें।

आदेश आज दिनांक 31.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू